न्यायालयः– सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–361/95

भागीरथ बनाम रामशंकर

17.01.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र ग–96 वादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि कौशल किशोर आदि की ओर से प्रार्थना पत्र क–89 दिनांक 13.10.2010 के आदेश को निरस्त करने हेतु दिया गया था, जिसके विरूद्ध वादी ने अपनी आपत्ति ग–95 दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई दिनांक 15.10.2018 को होनी थी, जिस दिन प्रार्थी वादी पुकार पर बैठा रहा तथा प्रार्थी वादी को बगैर सुने आदेश दिनांक 15.10.2018 पारित किया गया है वह भ्रमवश पारित हो गया है। प्रार्थना पत्र ग–89 पर आदेश न पारित करके वादी की आपत्ति ग–95 को मु० 200/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करके आदेश दिनांकित 13.10.2010 निरस्त कर दिया है तथा प्रार्थना पत्र ग–89 पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। अतः आदेश दिनांकित 15.10.2018 को रिकाल करके प्रार्थना पत्र क–89 व आपत्ति ग–95 पर उभय पक्षों का सुनकर आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से आपत्ति न होने का पृष्ठांकन किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जहां तात्विक न्याय व प्रक्रियात्मक न्याय में से एक को चुनना हो वहां तात्विक न्याय को वरीयता दी जानी चाहिए। जहां तक सम्भव हो मामले का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–96 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांकित 15.10.2018 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण क–89 हेतु दिनांक 01.02.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।